प्रेषक,

प्रधानाचार्य,

जनता पालीटेक्निक जहांगीराबाद,

मईपुर (बुलन्दशहर) उ0प्र0 – 203391

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / विभाग प्रभारी / वरिष्ठ सहायक / पुस्तकालयाध्यक्ष, सुरक्षा प्रभारी, प्रोक्टर, बेवसाइट प्रभारी, शैक्षणिक प्रभारी,

जनता पालीटेक्निक जहांगीराबाद।

पत्रांक: ज0पा0 / 367 / 2019–20 दिनांक 08 / 08 / 2019

Sub : Prevention and prohibition of Ragging in technical IInstitutions, Universities including Deemed to be Universities imparting technical education.

महोदय,

उक्त विषयक संस्था के पूर्व पत्र सं0 ज0पा0 / 301 / 2019–20 दिनांक 24–07–2019 एवं निदेशक प्राविधिक शिक्षा उ0 प्र0 कानपुर के पत्रांक 21405–580 / जे0–109–प्रशा0 (एन्टीरैगिंग) कानपुर दिनांक 01–08–2019 के संदर्भ में पुनः अवगत कराना है कि नये शैक्षिक सत्र 2019–20 में प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग प्रक्रिया चल रही है। काउन्सिलिंग उपरान्त नव प्रवेशित एवं पूर्व से अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को संस्था में प्रवेश अथवा पठन–पाठन एवं अन्य किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो इस हेतु आप स्वयं के स्तर से आवश्यक कार्यवाही एवं अपने विभागीय स्टाफ को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करें, साथ ही संस्था में रैगिंग सम्बन्धी कोई घटना न घटे इस हेतु **"मा0 उच्चतम् न्यायालय के आदेशों एवं रैगिंग प्रतिषेध अधिनियम–2009 (संख्या – 37–3 / Legal / AICTE / 2009 दिनांक 01–07–2009, ए0आई0सी0टी0ई0 के वेबपोर्टल पर उपलब्ध)** में रैगिंग को बहुत व्यापक अपराध के रूप में व्याख्यायित किया गया है, किसी भी छात्र का शारीरिक, सामाजिक, मानसिक एवं आर्थिक शोषण भी संदर्भित अधिनियम से आच्छादित है। चूंकि रैगिंग एक मानवीय उत्पीड़न का कृत्य है एवं वर्तमान परिदृश्य में रैगिंग सभ्य समाज में एक अभिशाप है, जिसका तत्काल पूर्णतया अन्त होना चाहिये। इस संबंध में आपको पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि उल्लिखित बिन्दुओं का विभाग स्तर पर पुनः अनुश्रवण कर व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये –

1. संस्था / विभागीय स्तर पर रैगिंग रोकने के लिये सभी महत्वपूर्ण स्थानों यथा कैन्टीन, भवन के कारीडोर, सभी भवनों के प्रत्येक फ्लोर, सभी ब्लाकों, पुस्तकालय, प्रवेश द्वार आदि में निरन्तर निगरानी रखी जाये जिससे रैगिंग की घटनाओं की सम्भावनाऐं पूर्णतया समाप्त हो जाये।

2. रैगिंग की पूर्ण रोकथाम हेतु समयबद्ध कार्य योजना बनाकर प्रभावी कार्यवाही करायी जाये तथा शिथिलता पाये जाने पर दायित्व निर्धारित करके सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही करायी जाये।
3. गत वर्षों की भॉति अपने यहॉ एक एन्टी रैगिंग सेल एवं एन्टी रैगिंग स्क्वायड की स्थापना करें तथा इसे पूर्णतया Functional एवं Active बनाये रखें। <u>एन्टी रैगिंग सेल के समस्त प्रतिनिधि प्रत्येक दिन रिपोर्टिंग रजिस्टर पर अपनी आख्या दर्ज कर प्रधानाचार्य को अवलोकित करायेगें।</u>
4. छात्रों एवं उनके अभिभावकों को प्रवेश के समय ही रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में विस्तृत प्राविधानों की जानकारी देते हुए उनसे ए0आई0सी0टी0ई0 के वेबपोर्टल पर उपलब्ध कराये गये फार्मेट पर शपथ–पत्र प्राप्त किये जायें, ताकि अभिभावक भी इस दिशा में अपना योगदान दे सकें। संस्थान स्तर पर प्रश्नावली तैयार करके कार्यवाही की जाये।
5. सभी संस्थान रैगिंग रोकने के शासनादेशों एवं अधिनियमों को अपनी बेवसाइट पर अपलोड कर दें तथा हेल्पलाईन नम्बरों को भी प्रदर्शित कर दिया जाये।
6. शैक्षिणिक सत्र प्रारम्भ हो जाने के आगामी 03 माह रैगिंग की रोकथाम के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। समाचार पत्रों में रैगिंग के सम्बन्ध में कोई समाचार प्रकाशित होता है तो तत्समय में तथ्यों की सही जानकारी करके तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें।
7. रैगिंग का प्रतिरोध अधिनियम – 2009 के अन्तर्गत यदि कोई छात्र दोषी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई जाये।
8. संस्था के उक्त पत्र दिनांक 24–07–2019 के बिन्दु – 2 द्वारा गठित रैगिंग विरोधी दस्ते में श्रीमती मन्जु बंसल, व्या0 रसायन को भी सम्मिलित किया जाता है तथा बिन्दु 3 द्वारा गठित प्रोक्टोरियल बोर्ड के गठन में श्रीमती चित्रा देवी, लिपिक का नाम भी सम्मिलित किया जाता है। Anti Ragging Committee में प्रतिनिधि स्थानीय पुलिस प्रशासन, मीडिया, N.G.O., अभिभावक, नवप्रवेशित/वरिष्ठ छात्र–छात्रा भी होंगे। प्रोक्टोरियल बोर्ड एन्टी रैगिंग स्क्वायड का भी कार्य करेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये विस्तृत दिशा–निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये, साथ ही स्वविवेक के आधार पर अन्य उचित व्यवस्था की जाये, ताकि रैगिंग की कोई भी घटना न होने पाये। रैगिंग रोकने की प्राथमिक जिम्मेदारी संस्थाओं की है। यदि किसी भी विभाग में रैगिंग की कोई घटना होती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभाग प्रभारी का होगा।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(वरूण दत्त)
प्रधानाचार्य

प्रधानाचार्य
जनता पालीटेक्निक
जहाँगीराबाद, बुलन्दशहर

संशोधित रैगिंग विरोधी दस्ते का विवरण

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	मोबाईल नं0
(i)	श्री नरेश बंसल	वरि0 व्या0 इलैक्ट्रोनिक्स, प्रभारी	9457284892
(ii)	श्रीमती मन्जु बंसल	व्या0 रसायन	9997821100
(iii)	डा0 वाजिद अली	व्या0 वाणिज्य, विभाग प्रभारी मोमएसपी	9719564155
(iv)	श्री अनिल कुमार	व्या0 फार्मेसी	9358081908
(v)	श्री सैनपाल	कर्मशाला अनुदेशक	9412890693
(vi)	श्री सुखपाल सिंह	कर्मशाला अनुदेशक	9761034748
(vii)	श्री राजेश कुमार	लाइब्रेरियन	9457183858
(viii)	श्री काशी प्रसाद	टाइप मैकेनिक	9319281817
(ix)		प्रतिनिधि स्थानीय पुलिस प्रशासन	
(x)		प्रतिनिधि N.G.O.	
(xi)		प्रतिनिधि स्थानीय मीडिया	
(xii)		प्रतिनिधि अभिभावक	
(xiii)		प्रतिनिधि वरिष्ठ छात्र/नवप्रवेशित छात्र	

संशोधित प्रोक्टोरियल बोर्ड का विवरण। एन्टी रैगिंग स्क्वायड

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	मोबाईल नं0
(i)	श्री सैनपाल	चीफ प्रोक्टर (कर्मशाला अनुदेशक)	9412890693
(ii)	श्री सुखपाल सिंह	सहायक चीफ प्रोक्टर (कर्मशाला अनुदेशक)	9761034748
(iii)	श्रीमती चित्रा देवी	लिपिक	9012697381

प्रधानाचार्य
जनता पालीटेक्निक
जहाँगीराबाद, बुलन्दशहर